

न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 02/16 मु0दी0

संस्थापन दिनांक : 30.05.2016

1. बाबू सिंह पुत्र रघुवर सिंह आयु 88 साल जाति तौमर
ठाकुर, निवासी ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला
भिण्ड

—आवेदक

बनाम

1. देवी सिंह पुत्र प्रान सिंह आयु 85 साल जाति तौमर
ठाकुर, निवासी ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला
भिण्ड

2. बहादुर सिंह पुत्र गढ़ सिंह आयु 65 साल जाति
कुशवाह ठाकुर

3. पवन सिंह पुत्र श्याम सिंह आयु 80 साल जाति
कुशवाह ठाकुर

4. जुगल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति तौमर ठाकुर, उम्र
60 साल

5. दुर्ग सिंह पुत्र लाल सिंह उम्र 75 साल जाति कुशवाह
ठाकुर निवासी गण ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला
भिण्ड

6. राजेन्द्र सिंह उम्र 50 साल

7. विजेन्द्र सिंह उम्र 45 साल पुत्रगण दुर्ग सिंह

8. सुरेन्द्र सिंह उम्र 43 साल

9. गब्बर सिंह उम्र 41 साल

10. वीरेन्द्र उम्र 44 साल पुत्रगण दुर्ग सिंह

11. रिंकू पुत्र दुर्ग सिंह उम्र 37 साल समस्त जाति
ठाकुर निवासी गण ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला
भिण्ड

—अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक.....को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. एवं धारा 5 परिसीमा अधिकनयम का निराकरण किया जा रहा है।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के समक्ष प्र0क्र0 02ए/15 देवीसिंह बनाम बहादुरसिंह संचालित किया था।
3. आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत वाद में आवेदक प्रतिवादी क्रमांक 3 की हैसियत से दिनांक 22.01.16 तक उपस्थित होता रहा दिनांक 03.06.16 को प्रकरण आवेदन अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत था लेकिन आवेदक को सर्दी लगने के कारण तेज बुखार आ गया जिस कारण वह बीमार होकर अपने अभिभाषक को सूचना नहीं दे सका। आवेदक 87 वर्ष का वृद्ध है जो चलने फिरने में अशक्त है और उसे आंखों से कम दिखाई देता है व कानों से कम सुनाई देता है। गांव में चर्चा होने पर उसे जानकारी हुई थी कि उसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री हो गयी है और दिनांक 20.05.16 को अस्वस्थ अवस्था में उसने अपने अभिभाषक से संपर्क कर दिनांक 03.5.16 को निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब उसे ज्ञात हुआ कि विवादित मार्ग 12 फीट चौड़ा रखने की डिक्री हुई है जबकि केवल 10 फीट रखने का पंचायत अधिनियम में प्रावधान है। पंचायत के ठहराव में पंचनामे में नाली के लिए दो फीट छोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है। नोटिस दिनांक 25.11.14 में भी दर्शित मार्ग का उल्लेख है। अनावेदक ने मुख्यपरीक्षण में दावे से विपरीत कथन किए हैं जिस पर न्यायालय ने गंभीरता से विचार नहीं किया है अतः एकपक्षीय डिक्री प्र0पी-2 अपास्त की जाकर वादी साक्षी पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाकर मामला गुणदोषों के आधार पर निराकृत किए जाने का निवेदन किया है।
4. अनावेदक क्रमांक 1 ने आवेदन के जवाब में व्यक्त किया है कि आवेदन में दिनांक 22.01.16 व 03.09.16 गलत वर्णित किए गए हैं आवेदक कभी बीमारी से पीड़ित नहीं रहा और स्वस्थ होकर न्यायालय में आता जाता है वह जानकारी होने के बाद भी जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित नहीं हुआ है। आवेदक को डिक्री की पूर्व से जानकारी थी पंचायत अधिनियम में मार्ग के साथ एक फुट की नाली होना आवश्यक है जो पानी के निकास के लिए रहती है। न्यायालय ने भी इस संबंध में डिक्री पारित की है आवेदन दुर्भावना पर आधारित है इसलिए निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।
5. प्रकरण में शेष अनावेदकगण एकपक्षीय रहे हैं जिनके द्वारा आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया है।
6. आवेदन अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 03.09.16 को प्रकरण आदेश 26 नियम 9 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत था लेकिन आवेदक बीमार होकर अस्वस्थ हो गया इस कारण वह न्यायालय में नहीं आ सका। वह 87 वर्ष का वृद्ध होकर चलने फिरने में असमर्थ है उसे दिखाई व सुनाई देता है। शीघ्रता से दिनांक 29.02.16 को एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गयी है गांव में चर्चा के आधार पर उसे एकपक्षीय डिक्री की जानकारी हुई तब दिनांक 20.05.16 को उसने बीमारी की अवस्था में अपने अभिभाषक से संपर्क कर दिनांक 23.05.16 को नकल का आवेदन पेश किया है जो दिनांक 25.05.16 को

प्राप्त हुई तब दिनांक 29.05.16 को अवकाश में यह आवेदन पेश किया गया है। अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी परिसीमा अवधि में मान्य किए जाने का निवेदन किया है।

7. अनावेदक ने आवेदन के जवाब में व्यक्त किया है कि आवेदक पूर्ण स्वस्थ था और जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही बीमारी के संबंध में उसने कोई प्रमाण पत्र पेश किया है। एकपक्षीय डिक्री की जानकारी आवेदक को पूर्व से थी। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का ब्यौरा आवेदक ने नहीं दिया है। अतः आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।
8. प्रकरण में शेष अनावेदकगण एकपक्षीय रहे हैं जिनके द्वारा आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया है।
9. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि
 1. क्या आवेदन परिसीमा अवधि में पेश किया गया है ?
 2. क्या नियत दिनांक 03.02.16 को आवेदक पर्याप्त कारण से न्यायालय में अनुपस्थित रहा ?
 3. सहायता एवं व्यय ?

/// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष ///
10. उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न समान तथ्यों पर आधारित होने से उनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।
11. बाबूसिंह आ0सा03 ने कथन किया है कि वह व्यवहारवाद में प्रत्येक पेशी प उपस्थित रहता था लेकिन दिनांक 03.02.16 को ठण्ड लग जाने के कारण उसे बुखार आ गया और वह अधिक बीमार हो गया इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और न ही अपने अभिभाषक को सूचना दे सका। वह 87 वर्ष का वृद्ध है और चलने फिरने में असमर्थ है उसे कम सुनाई व दिखाई देता है। आवेदन प्रस्तुत करने के 8-10 दिन पूर्व ही उसे गांव में जानकारी मिली थी कि उसके विरुद्ध डिक्री हो गयी है। तब उसने बीमारी की अवस्था में अपने अभिभाषक को संपर्क कर डिक्री की जानकारी ली तब उसे डिक्री की जानकारी हुई। विनोद आ0सा01 और जुगलसिंह आ0सा02 ने भी मुख्यपरीक्षण में बाबूसिंह आ0सा03 के उक्त कथन का समर्थन किया है।
12. देवीसिंह अना0सा01 ने कथन किया है कि बाबूसिंह आ0सा03 जानबूझकर प्रकरण में अनुपस्थित रहा है वह पूर्व से स्वस्थ था और बीमार नहीं हुआ है और जानबूझकर बेरुन मियाद आवेदन लगाया है। वह अपने अधिवक्ता के संपर्क में था और उसने डॉ0 कल्लू से इलाज भी नहीं कराया।
13. बाबूसिंह आ0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है कि उसका बेटा सर्वेश जवान है जो उसके साथ ही रहता है और वही खेतीबाड़ी करता है व बाजार जाता है। बाबूसिंह आ0सा03 ने पैरा 4 में बताया है कि उसने अपने बेटे से अपने अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी करने को कहा था लेकिन उसके बेटे ने अधिवक्ता से कहा या नहीं उसे नहीं पता। अतः बाबूसिंह आ0सा03 के पास सूचना भिजवाने का माध्यम नहीं था यह स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि उसके साथ निवास पर उसका पुत्र भी कार्य करता है। सूचना भिजवाने के लिए उसने अपने बेटे से कहना बताया है जिसकी भी साक्ष्य उसने पेश नहीं की है। अतः वह अपने पुत्र के माध्यम से अधिवक्ता को सूचित करने में असमर्थ रहा यह विश्वसनीय व समाधानप्रद प्रतीत नहीं होता है।
14. बाबूसिंह आ0सा03 ने पैरा 4 में कथन किया है कि उसने गांव के डॉक्टर कलयाण से इलाज कराया था जिनहोंने डेढ माह इलाज किया था और वह

दो माह में ठीक हो पाया था वह तीन फरवरी को बीमार हुआ था उसने इलाज के पर्चे प्रकरण में पेश नहीं किए हैं और उसने देशी वैध से इलाज कराया था तब यह स्वीकार किया है कि गांव में कोई देशी वैध भी नहीं है। अतः बाबूसिंह आ0सा03 ने दिनांक 03.05.16 को स्वयं को स्वस्थ होना बताया है उक्त डेढ माह का उपचार का उसने कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है और न ही चिकित्सक की कोई मौखिक साक्ष्य पेश की है और तर्क के लिए मान भी लिया जाये कि उसने देशी उपचार कराया है तब भी उसने स्वयं स्वीकार किया है कि गांव में कोई देशी वैध नहीं है तब देशी उपचार कराये जाने के संबंध में उसके द्वारा दिए कथन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

15. बाबूसिंह आ0सा03 ने पैरा 5 में कथन किया है कि जब रास्ते की पैमाइश हुई तब वह अपने अधिवक्ता के पास आया था अतः गांव में चर्चा होने पर डिकी की जानकारी होने के संबंध में मुख्यपरीक्षण में दिए तथ्य भी प्रतिपरीक्षण में खण्डित हुए हैं और अनावेदक द्वारा डिकी प्र0पी-3 के क्रियाशील होने पर बाबूसिंह आ0सा03 को जानकारी होने का तथ्य स्पष्ट हुआ है।
16. विनोद आ0सा01 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि अनावेदक क्रमांक 2 बहादुरसिंह उसके पिता हैं जिनके विरुद्ध देवीसिंह अना0सा01 ने यह प्रकरण संचालित किया था। मूल प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि बहादुरसिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 के रूप में अंकित था जो प्रकरण में एकपक्षीय था।
17. अतः जबकि विनोद आ0सा01 के पिता ही प्रकरण में एकपक्षीय रहे हैं तब उसे प्रकरण से संसुगत सभी जानकारियां होना अविश्वसनीय प्रतीत होता है। जुगलसिंह आ0सा02 ने भी पैरा 2 में स्वीकार किया है कि वह मूल व्यवहारवाद में पक्षकार था वह भी मूल प्रकरण में एकपक्षीय रहा है। उसने भी डिकी की जानकारी होने के संबंध में यही बताया है कि बैसाख माह में जब नाप हो रही थी तब उसे डिकी के बारे में पता चला था उसी के सामने नाप हुई थी लेकिन नाप किसने की उसे नहीं मालूम। अतः विनोद आ0सा01 के पिता और जुगलसिंह आ0सा02 जोकि मूल व्यवहारवाद में एकपक्षीय प्रतिवादी हैं वह स्वयं प्रकरण में एकपक्षीय रहे हैं, के द्वारा मुख्यपरीक्षण में प्रकरण में नियत दिनांक क्या थी तथा उस दिनांक को आवेदक अस्वस्थ था, की जानकारी का स्रोत स्पष्ट नहीं किया है।
18. देवीसिंह अना0सा01 ने पैरा 4 में स्वीकार किया है कि जानकारी मिलने के बाद बाबूसिंह आ0सा03 ने नकल ली थी। पैरा 5 में बताया है कि उनके यहां कल्लू नाम का कोई डॉक्टर नहीं है।
19. प्रकरण में बाबूसिंह आ0सा03 ने नियत दिनांक को अपनी अनुपस्थिति का कारण अस्वस्थता का होना बताया है जबकि समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है और देशी इलाज कराये जाने के संबंध में भी उपरोक्तानुसार अविश्वसनीय कथन दिए हैं। चिकित्सक की मौखिक साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है। चिकित्सक का नाम भी बाबूसिंह आ0सा03 ने कल्याण और जुगल आ0सा02 ने कल्ले होना बताये हैं जो भी अलग-अलग हैं। आवेदक 88 वर्ष वृद्ध व्यक्ति है लेकिन प्रकरण में वादी अनावेदक देवीसिंह अना0सा01 भी 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जो नियत दिनांक को प्रकरण में उपस्थित रहा है। विनोद आ0सा01 जिसके पिता व्यवहारवाद में प्रतिवादी थे और जुगलसिंह आ0सा02 जो व्यवहारवाद में प्रतिवादी था और स्वयं प्रकरण में एकपक्षीय थे। उनके द्वारा यह अस्पष्ट तथ्य बताया है कि 6 माह पूर्व बाबूसिंह आ0सा03 अस्वस्थ था। जबकि दो माह में बाबूसिंह आ0सा03 ने स्वयं को स्वस्थ होना बताया है। अतः उनके अस्पष्ट कथन से नियत दिनांक को बाबूसिंह आ0सा03 का अस्वस्थ होना भी समाधानप्रद

प्रतीत नहीं होता है। बाबूसिंह आ0सा03 का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता कर रहे थे और उपरोक्तानुसार उसने अपने पुत्र के माध्यम से अधिवक्ता को अपनी अस्वस्थता सूचित करना बताया है लेकिन न तो पुत्र की और ना ही आवेदक के अधिवक्ता की साक्ष्य अभिलेख पर है अतः आवेदक अपने अधिवक्ता को निर्देश नहीं दे सका इस संबंध में भी मुख्यपरीक्षण में दिए कथन प्रतिपरीक्षण में खण्डित हुए हैं। अतः नियत दिनांक 03.02.16 को आवेदक ने अपनी अनुपस्थिति का विश्वसनीय पर्याप्त व समाधानप्रद कारण सिद्ध नहीं किया है।

20. एकपक्षीय डिक्री दिनांकित 29.02.16 प्र0पी-2 को परिसीमा अवधि में निरस्त कराने की आवेदक ने कार्यवाही नहीं की है। अतः परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अधीन डिक्री की जानकारी होने से 30 दिवस के अंदर आवेदन पेश करना आवश्यक था लेकिन डिक्री की जानकारी होने के संबंध में बाबूसिंह आ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि गांव में चर्चा होने पर उसे डिक्री की जानकारी हुई लेकिन प्रतिपरीक्षण में बताया है कि नाप होने पर जानकारी हुई जोकि विरोधाभासी है नाप किस दिनांक को हुई वह यह भी स्पष्ट नहीं कर सका है। जुगलसिंह आ0सा02 भी नाप होने के संबंध में उपरोक्तानुसार कोई विश्वसनीय कथन नहीं कर सका है अतः अभिवचन, मुख्यपरीक्षण, प्रतिपरीक्षण में भी डिक्री की जानकारी दिनांक 20.05.16 को आवेदक को हुई यह स्पष्ट नहीं होता है। उक्त दिनांक 20.05.16 को भी आवेदक ने स्वयं को अस्वस्थ अवस्था में अधिवक्ता के पास आना बताया है लेकिन प्रतिपरीक्षण में दिनांक 03.02.16 के दो माह में ही स्वस्थ होना बताया है अतः दिनांक 20.05.16 को भी बाबूसिंह आ0सा03 अस्वस्थ था इस तथ्य का खण्डन होता है। अतः परिसीमा अवधि के विस्तारण हेतु भी आवेदक ने कोई पर्याप्त हित व्यक्त नहीं किया है। अतः आवेदन परिसीमा अवधि में पेश किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है।
21. अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।
// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 का सकारण निष्कर्ष //
22. प्रकरण में आवेदक ने 10 फीट का रास्ता व 2 फीट के नाले के विनिश्चय को त्रुटिपूर्ण होना बताया है लेकिन उक्त विनिश्चय गुणदोषों के आधार पर दिया गया है जो वर्तमान में चुनौतीविहीन रहा है अतः इस प्रकरण में निराकरण में डिक्री प्र0पी-2 के विनिश्चय पर पुनः अभिमत नहीं दिया जा सकता है।
23. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता है कि आवेदक ने परिसीमा अवधि में आवेदन पेश किया और वह आदेश प्र0पी-1 की नियत दिनांक 03.02.16 को पर्याप्त कारण से अनुपस्थित रहा जिससे डिक्री प्र0पी-2 निरस्त नहीं की जा सकती है। अतः आवेदन अस्वीकार किया जाता है।
24. प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ी जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित

सही/-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)